

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)



(अस्थायी सम्बद्धता के लिये महाविद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन)
शैक्षणिक सत्र 20..... 20.....

(स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु)

महाविद्यालय का नाम जिसका निरीक्षण होना है	पाठ्यक्रम जिनमें निरीक्षण किया जाना है

कार्यालयीन कार्य हेतु

निरीक्षण क.....

फाईल क्रमांक.....

निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम

01.

02

03

महाविद्यालय की निरीक्षण संक्षेपिका

दिनांक.....

अ. अशासकीय महाविद्यालय हेतु :

1. महाविद्यालय संचालन समिति का नाम
.....
2. रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं दिनांक
.....
3. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण आदेश का क्रमांक एवं दिनांक
.....
4. महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची
(प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)
.....
5. महाविद्यालय की शासकी निकाय का गठन किये जाने का दिनांक
(प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)
.....
6. पिछले वर्ष शासी निकाय की कितनी बैठक हुई उसकी जानकारी
.....
.....
7. शासी निकाय का गठन एवं निर्धारित बैठकों की संख्या में परिनियम का पालन किया जा रहा अथवा नहीं ।
.....
.....
8. Undisputed Ownership and Possession of land (Minimum 5 Acres)
.....

निरीक्षण द्वारा सत्यापित
(हस्ताक्षर)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

- ब. सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय हेतु
(महाविद्यालय की सामान्य जानकारी)

महाविद्यालय का नाम		
पता		
ग्राम		
तालुक		
जिला		
पिन		
राज्य		
एस.टी.डी.कोड		फोन नं
फैक्स नं		ई-मेल वेबसाईट
महाविद्यालय प्रारंभ होने का वर्ष		
महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने का दिनांक एवं वर्ष (राज्य शासन की अनुमति/ विश्वविद्यालय सम्बद्धता आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें)		

1. महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति :

- (i) संचालन का वित्तीय स्रोत : तालिकानुसार जानकारी आवश्यक रूप से भरें ।
(अंकेक्षण एवं बजट की प्रतिलिपि संलग्न करें)

क्रमांक	रसीद		खर्च	
	विवरण	राशि	विवरण	राशि

निरीक्षण द्वारा सत्यापित
(हस्ताक्षर)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

- (Rs. 15 lakhs per programme in Arts, Science and Commerce and Rs. 35 lakhs if it propose to offer professional programmes with minimum in period of three years)

- प्रशासनिक भवन

शैक्षणिक भवन

4. पिछले वर्ष महाविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की संकायवार/विषयवार जानकारी

- 3 -

5. अ. महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है / शहरी क्षेत्र में है । तथा उसका क्षेत्रफल ।

ब. मूलभूत सुविधा - जैसे प्रसाधन, पीने का पानी, बिजली, वेंटीलेटर, सीवरेज इत्यादि है या नहीं ।

स. शैक्षणिक स्टाफ (न्यूनतम 2 शिक्षक प्रति विषय) ।

द. अशैक्षणिक स्टाफ : एकाउंटेंट, क्लर्क, इत्यादि ।

6. महाविद्यालयों में उपलब्ध संसाधन तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल इत्यादि की जानकारी :

क्र.	प्राप्त सुविधाएँ	विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित क्षेत्रफल (वर्गफीट में)		महाविद्यालय में उपलब्ध क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	
1	प्राचार्य कक्ष	400			
2	कार्यालय	400			
3	पुस्तकालय	1500			
4	छात्राओं का कक्ष	600			
5	स्टाफ रूम	600			
6	प्रत्येक विषय हेतु कक्षा	900 (प्रति 60 विद्यार्थी)			
7	प्रयोगशाला (विषयवार)	900 (प्रति 30 विद्यार्थी)			
8	खेल का मैदान	240 x 240 वर्गमीटर			
9	खेल सुविधाएँ	इन्डोर	आउटडोर	उपलब्ध	अनुपलब्ध

7. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद का नाम एवं उसमें नियुक्त कये गये व्यक्ति का नाम :

1. (अशासकीय महाविद्यालय हेतु कॉलेज कोड 28 के प्रावधानानुसार नियुक्तियों को पृथक से दर्शाये)

क्र.	शिक्षकों का नाम	पद	योग्यता	पदभार ग्रहण करने की तिथि	नियमित नियुक्ति का अनुभव	कुल वेतन	शिक्षकों के हस्ताक्षर

क्र.	कर्मचारियों का नाम	पद	योग्यता	पदभार ग्रहण करने की तिथि	कुल वेतन	शिक्षकों के हस्ताक्षर

नोट :-

1. अनुभव व योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र एवं नियुक्ति पत्र संलग्न करें ।
2. सेवा पुस्तिका का विवरण परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।
3. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की प्रमाणित सूची संलग्न करें ।

8. नियुक्त व्यक्तियों का वेतन विवरण तथा यूजी.सी. / समन्वय समिति द्वारा निर्धारित अन्य, वेतन, चेक द्वारा अथवा कैश दिया जाता है ।

निरीक्षण द्वारा सत्यापित
(हस्ताक्षर)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

निरीक्षण दल का टीप

1. क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल नियुक्त है अथवा नहीं ?
.....
2. पिछले वर्ष छात्रों की उपस्थिति पंजी के रख-रखाव के संबंध में जानकारी तथा उपस्थिति प्रतिशत पूर्ण न हाने की स्थिति में गत वर्ष कितने छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा ।
.....
3. महाविद्यालय द्वारा पिछले वर्ष संचालित की गई परीक्षाओं की जानकारी ।
.....
4. यदि प्राचार्य नियुक्त है तो उसका नाम, योग्यता, अध्यापन अनुभव की जानकारी ।
.....
5. महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम 28 के प्रावधानानुसार की गई है अथवा नहीं ?
(अशासकीय महाविद्यालय की स्थिति में)
.....
6. ग्रंथालय छात्र संख्या के अनुरूप पर्याप्त है अथवा नहीं एवं छात्रों हेतु अध्ययन कक्ष उपलब्ध है अथवा नहीं ।
(न्यूनतम 1000 पुस्तकें तथा प्रत्येक विषय में 100 पुस्तकें, बुक बैंक, टेस्ट बुक, संदर्भ ग्रंथ इत्यादि)
.....
.....

(i) विषयवार / पाठ्यक्रमवार अनुशंसित पुस्तकों की संख्या ।

विषयवार पाठ्यक्रम	पुस्तकों की संख्या	निरीक्षण दल की टिप्पणी

7. कार्यालय संचालन हेतु लिपिक, लेखापाल, भृत्य इत्यादि की संख्या :
.....
8. महाविद्यालय का बजट, अंकेक्षण द्वारा कैशबुक भरे जाने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी :
.....

9. छात्र/छात्राओं एवं स्टाफ के लिये पृथक-पृथक कक्ष एवं टायलट उपलब्ध है अथवा नहीं है?

10. महाविद्यालय में सूचना पटल की संख्या ।

11. अकादमिक कलेण्डर का पालन किया जाता है अथवा नहीं ?

पिछले वर्ष की महाविद्यालय की समयसारणी संलग्न करें ।

12. महाविद्यालय कितने पाली में संचलित है तको प्रत्येक का समय एवं अन्य विवरण अंकित करें।

i) पाठ्यक्रम हेतु प्रयोगशालाओं / उपकरण / रसायनों की स्थिति (पाठ्यक्रमानुसार प्रयोग संख्या संभव)

विषय	पाठ्यक्रम	प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की संख्या	प्रयोग सामग्री	पाठ्यक्रम अनुरूप प्रयोग संख्या

ii) कम्प्यूटर की संख्या

iii) अन्य पाठ्यक्रम जिनके लिये कम्प्यूटर का उपयोग हो

iv) फर्नीचर की संख्या (कक्षावार)

v) हारटल ब्वायज/ गर्ल्स

v) आडिटोरियम

vi) कैटीन

vii). हेल्थ केयर इत्यादि

viii) पाठ्यक्रमानुसार लिया जाने वाला शुल्क (चालान की छायाप्रति संलग्न करें)

पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क विवरण

13. पिछली निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया अथवा नहीं विवरण दें :

14. पिछले निरीक्षण समिति के शर्तों के परिपालन का विवरण दें

संलग्न : (गहाविद्यालय द्वारा आवश्यक रूप से लगाया जावे या उपलब्ध नहीं लिखें)

क्र.	रिकार्ड	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1.	प्रवेश पंजीयक			
2.	वेतन पंजीयक			
3.	एकल सेवा रिकार्ड			
4.	कर्मचारी उपस्थिति पंजीयक			
5.	विद्यार्थी उपस्थिति पंजीयक			
6.	प्रबंध समिति की बैठकों के मिनिट्स			
7.	शुल्क जमा पंजीयक			
8.	उपकरण / रसायन का स्टॉक पंजीयक			
9.	किताबों पर शोध पत्रिकाओं का एक्सेशन पंजीयक			
10.	पाठ्यक्रम के अनुसार उपलब्ध उपकरणों की सूची (विषयवार)			

15. आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना

चाहिये - (शूजी.सी. विनियम 2009 के अनुसार)

- रोसायटी / न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्योरे सहित

- ii. भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र
- iii. संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र।
- iv. आवेदक के नाम से पंजीकृत भूमि / सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज
- v. सरकार द्वारा कालेज आरंभ करने के लिये सोसायटी / न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का ब्योरा।
- vi. पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया था संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्श
- vii. प्रस्तावित कालेज के लिये पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कालेज के लिये भूमि को चिह्नित किया गया हो।
- viii. रूंड 3.2.2 के तहत यथा विनिर्दिष्ट चिह्नित कायिक निधि के साक्ष्य के साथ भूमियों की अद्यतन स्थिति तथा संगत बैंगल खातों की ब्योरा।

निरीक्षण समिति की अनुशंसा :

1. विषय/पाठ्यक्रम / सिट वृद्धि जिनमें अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय / पाठ्यक्रम	विद्यार्थी संख्या

2. विषय / पाठ्यक्रम जिनमें सम्बद्धता नहीं दिये जाने की अनुशंसा / समाप्त कर नये सत्र से प्रवेश पर रोक लगाने की अनुशंसा की जाती है।

1.

2.

संयोजक

हस्ताक्षर सदस्य 'ए'

हस्ताक्षर सदस्य 'बी'

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली

वि०अ०आ० (विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम, 2009

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वि०अ०आ० निम्नवत् विनियम बनाता है,

नामत:

1. संक्षिप्त नाम, उपयोजन तथा प्रारंभ
 - 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम वि०अ०आ० (विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम, 2009 है ।
 - 1.2 यह संबद्धता प्राप्त करने के इच्छुक सभी कालेजों तथा भारत के विश्वविद्यालयों से पहले सही संबद्ध कालेजों पर लागू होंगे जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा निगमित किया गया हो ।
 - 1.3 यह तुरंत प्रभाव से लागू होंगे ।

1 परिभाषाएं : इन विनियमों में : —

- 2.1 "संबद्धता" तथा इसके व्याकरणिक रूपभेदों में किसी कालेज के संबंध में, किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कालेज को मान्यता प्रदान करना, उसके साथ इस प्रकार के कालेज का सहयोजन, इस प्रकार के कालेज को विश्वविद्यालय राज्य विशेषाधिकारों प्रदान करना शामिल है ।
- 2.2 "कालेज" का अर्थ किसी संस्थान से है, चाहे वह इस प्रकार के या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो 12 वर्षों के स्कूली पाठ्यक्रम के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा

विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

- 8.3 विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कालेज की जांच करवा सकता है तथा कालेज को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान कर, वि०अ०आ० अधिनियम की धारा (12 क) (4) के तहत इस प्रकार के कालेज को इस प्रकार के विनिर्दिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और कालेज की सम्बद्धता वि०अ०आ० अधिनियम की धारा (12 क) (5) के तहत समाप्त मानी जाएगी।

- 8.4 अगर विश्वविद्यालय कालेज की सम्बद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय कालेज के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/सरकार यह कर्तव्य होगा कि वे उचित ढंग से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।

9. घटिया कालेजों को सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय तथा आयोग के विनियमों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालयों/कालेजों के असफलता होने पर शास्तियां

- 9.1 यदि कोई विश्वविद्यालय किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करता है जो विनियमों के अनुसार सम्बद्धता की शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या अगर विश्वविद्यालय, वि०अ०आ० अधिनियम के संगत उपबंधों का उल्लंघन कर सम्बद्धता प्रदान करता है तो आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो जिसमें विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को बंद

विश्वविद्यालय/सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की उचित पद्धति से अपने निर्णयानुसार रक्षा करे।

- 8.3 विनियमों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, आयोग स्वतः या किसी अन्य सूचना या किसी स्रोत द्वारा रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कालेज की जांच करवा सकता है तथा कालेज को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान कर, वि०अ०आ० अधिनियम की धारा (12 क) (4) के तहत इस प्रकार के कालेज को इस प्रकार के विनिर्दिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चलाने तथा किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री प्रदान किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकता है और कालेज की सम्बद्धता वि०अ०आ० अधिनियम की धारा (12 क) (5) के तहत समाप्त मानी जाएगी।

- 8.4 अगर विश्वविद्यालय कालेज की सम्बद्धता को वापस लेने का निर्णय लेता है अथवा विश्वविद्यालय के आदेश से सम्बद्धता अस्थायी या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का निर्णय कालेज के छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करेगा जोकि आदेश जारी किए जाने के समय इसमें अध्ययनरत थे जब तक कि वे कार्यक्रम की सामान्य अवधि के तहत कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर जाते, जिसमें उन्होंने उस समय पंजीकरण करवाया था। विश्वविद्यालय/सरकार यह कर्तव्य होगा कि वे उचित ढंग से अपने निर्णयानुसार प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करे।

9. घटिया कालेजों को सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय तथा आयोग के विनियमों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालयों/कालेजों के असफलता होने पर शास्तियां

- 9.1 यदि कोई विश्वविद्यालय किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करता है जो विनियमों के अनुसार सम्बद्धता की शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या अगर विश्वविद्यालय, वि०अ०आ० अधिनियम के संगत उपबंधों का उल्लंघन कर सम्बद्धता प्रदान करता है तो आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो जिसमें विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान को बंद

- 3.1.1 अविवादित स्वामित्व तथा यदि यह महानगरों में स्थित है, तो कब्जे की भूमि 2 एकड़ से कम भूमि न हो तथा अन्य क्षेत्रों के मामले में यह 5 एकड़ से कम न हो।
- 3.1.2 प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा अन्य भवन के साथ-साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट त्वरित शैक्षणिक तथा अन्य स्थान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास स्थान होना चाहिए तथा वि०अ०आ०/सर्वविधिक/संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानकों के अनुरूप भावी विस्तार हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि कालेज में निर्मित सभी भवन निशक्त अनुकूल होने चाहिए।
- 3.1.3 संकायों, लेक्चर/संगोष्ठी कक्षों, ग्रंथागारों तथा प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त शैक्षणिक भवन होना चाहिए, जहां लेक्चर/संगोष्ठी कक्ष/ग्रंथालय में प्रति छात्र कम से कम 15 वर्ग फुट का स्थान तथा प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिए।
- 3.1.4 शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की संख्या विश्वविद्यालय मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए।
- 3.1.5 केन्द्र/राज्य लो०नि०वि० द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप अनिवार्य सेवाओं जैसे जल, विद्युत, संवातन, शौचालय, सीवर आदि के लिए पर्याप्त सिविल सुविधाएं;
- 3.1.6 कम से कम 1000 पुस्तकों का एक ग्रंथालय, अथवा प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रत्येक विषय के अलग-अलग शीर्षक पर 100 पुस्तकें, इनमें से जो भी अधिक हो, ताकि पाठ्यक्रम तथा संदर्भ-पुस्तकों, दोनों को शामिल किया जा सके, इसके अलावा प्रत्येक विषय पर दो जर्नल होने चाहिए साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा वि०अ०आ० द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट अन्य वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक सुविधा भी होनी चाहिए।

को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से उपयोग किया जा सकता है:

3.2.3 कालेज विश्वविद्यालय को एक वचन भी देगा कि इसके पास सतत और कार्यकुशल ढंग से कार्य करने के लिए इसके अपने स्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय है।

3.3 पंजीकृत सोसायटियों/न्यास को न्यायोचित अपवाद स्वरूप मामलों में इस शर्त के अध्यक्षीन मौजूदा उपलब्ध इमारत में प्रथम वर्ष के कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है कि उसके द्वारा सभी अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को विनियम के तहत पूरा किया गया है तथा कालेज पैरा 4.4.6 तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दी गई अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप द्वितीय वर्ष के अंत तक भवन निर्माण पूरा कर लेगा तथा तृतीय वर्ष के आरंभ तक कालेज को प्रस्तावित स्थायी भवन में पूरी तरह स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा न होने पर कालेज की अस्थायी सम्बद्धता का नवीकरण नहीं किया जाएगा जब तक कि कालेज स्थायी भवन में स्थानांतरित नहीं हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी भवन में स्थानांतरण हेतु 5 वर्ष से अधिक का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

3.4 किसी कालेज का प्रस्ताव करने वाली पंजीकृत सोसायटी/न्यास एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा:-

3.4.1 केवल उन विषयों को पढ़ाया जाएगा तथा केवल उन्हीं संकायों में केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को चलाया जाएगा जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसे सम्बद्ध किया गया है तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धक की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के समुचित शैक्षणिक निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।

3.4.2 अधिनियम के सभी उपबंधों, परिनियम तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के सभी अध्यादेश, नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा।

- 4.5 विश्वविद्यालय आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा तथा संतोषजनक पाए जाने पर और आवेदन प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर आशय का पत्र जारी करेगा ताकि अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सभी आवश्यकताओं के वास्तविक सत्यापन के लिए तीन माह की अवधि के भीतर निरीक्षण किया जा सके।
- 4.6 कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय कालेज का निरीक्षण कराएगा जिसमें निम्नवत् शामिल होंगे:—
 - 4.6.1 प्रत्येक प्रस्तावित क्षेत्र के विषय के लिए एक विशेषज्ञ;
 - 4.6.2 कालेज विकास परिषद् का डीन/विश्वविद्यालय का समकक्ष शिक्षाविद्;
 - 4.6.3 सरकार के उच्च शिक्षा विकास का एक प्रतिनिधि जोकि उपनिदेशक के स्तर से नीचे का न हो; और
 - 4.6.4 लोनिवि/केलोनिवि से एक अभियन्ता जोकि अधिशासी अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो।कुलपति द्वारा यथा नामित किसी भी एक विषय का विशेषज्ञ जोकि प्रोफेसर के स्तर का हो, समिति का अध्यक्ष होगा।
- 4.7 अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण समिति की रिपोर्ट विधिवत् रूप से भर कर तथा सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अपने उचित निकायों के माध्यम से रिपोर्ट संसाधित करेगा तथा कालेज को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय लेगा; तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।
- 4.8 कालेज में उपलब्ध अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय कालेज में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लेगा।
- 4.9 रिजिस्ट्रार/विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रदान किए जाने या न किए जाने के बारे में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे ग्रन्थ आचरण को बढ़ावा मिलता हो।

3.4.10 इस प्रभाव तक कि कोई भी कालेज किसी भी छात्र को सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला नहीं देगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के प्रति कार्यक्रम हेतु संस्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक दाखिल नहीं करेगा।

3.4.11 इस प्रभाव तक कि कालेज विश्वविद्यालय की पिछली अनुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को समाप्त नहीं होगा।

3.4.12 इस प्रभाव तक कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कहीं भी लागू हो, के छात्रों के लिए शैक्षणिक तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर कालेज द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

3.4.13 इस प्रभाव तक कि वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा विनियामकों/आदेशों के तहत रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित सभी रजिस्ट्रों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा;

3.4.14 इस प्रभाव तक कि कालेज, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को वि०अ०आ०/विश्वविद्यालयों/सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के संबंध में कालेज के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने हेतु वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर को बनाए रखने के लिए वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा जो भी निदेश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए सभी कार्यवाहियां करेगा।

4. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

- 4.1 नए कालेज को आरंभ करने के लिए तथा इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए आवेदन को केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थान तथा पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 4.2 यदि आवेदक एक सोसायटी/न्यास है, तो यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत या न्यास अधिनियम अथवा कोई भी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम के तहत आवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।
- 4.3 सरकार/सोसायटी/न्यास, जिसका कालेज आरंभ करने का प्रस्ताव है तथा जो अपने आपको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहता है और जिसके क्षेत्राधिकार में कालेज पड़ता है वह विनिर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय को विहित प्ररूप में विश्वविद्यालय के कुल-सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट में विहित शुल्क के साथ आवेदन करना चाहिए।
- 4.4 आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए—
 - 4.4.1 सोसायटी/न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित;
 - 4.4.2 भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र;
 - 4.4.3 संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि उपयोग प्रमाण पत्र;
 - 4.4.4 आवेदक के नाम में पंजीकृत भूमि/सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज;
 - 4.4.5 सरकार द्वारा कालेज आरंभ करने के लिए सोसायटी/न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का ब्यौरा।

4.4.6 पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा;

4.4.7 प्रस्तावित कालेज के लिए पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कालेज के लिए भूमि को चिन्हित किया गया हो;

4.4.8 खंड 3.2.2 के तहत यथा विनिर्दिष्ट चिन्हित कायिक निधि के साक्ष्य के साथ निधियों की अद्यतन स्थिति तथा संगत बैंक खातों की ब्यौरा।

4.4.9 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें निम्नवत् ब्यौरा दिया गया हो:-

(क) शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव सहित सोसायटी/न्यास की पृष्ठभूमि; इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा; इसके आरंभ होने से सामाजिक धर्मार्थ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गतिविधियां तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है;

(ख) समय-वार कालेज की विकास योजना, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों/अनुसंधान आरंभ किए जाने के संबंध में पहले 10 वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जिसमें छात्र सुविधाएं, जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल हैं, के विकास के लिए स्तर-वार समय अनुसूची।

(ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान;

(घ) संकाय नियुक्ति, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने तथा विकास के संबंध में नीति;

(ङ) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा;

(च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के निवेश तथा प्रचालनात्मक व्यय का शोध और

संसाधन संबंधी अनुमान तथा उपयोग

- 3.4.3 समय-समय पर सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का पालन करना।
- 3.4.4 इस प्रभाव तक कि वि०अ०आ० द्वारा यथा विहित शिक्षण पदों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवाशर्तें, विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि०अ०आ० के परिनियमों/अध्यादेश/विनियमों के अनुरूप होगी तथा कालेज द्वारा आरंभ किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा कालेज में छात्र-शिक्षक अनुपात वि०अ०आ० मानदण्डों के अनुसार होगा;
- 3.4.5 इस प्रभाव तक कि शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाँफ को नियमित रूप से वि०अ०आ०/केन्द्र/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय-समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा;
- 3.4.6 इस प्रभाव तक कि शिक्षण व गैर शिक्षा स्टाँफ के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित योग्यता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।
- 3.4.7 इस प्रभाव तक कि कालेज को सम्बद्धन प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए शिक्षकों पर अर्हता संबंधी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा शिक्षण स्टाँफ में सभी परिवर्तनों तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, जोकि विश्वविद्यालय को सम्बद्धन प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा।
- 3.4.8 इस प्रभाव तक कि छात्रों पर प्रभारित किए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, समय-समय पर वि०अ०आ० के मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचे के अनुसार ही होंगे।
- 3.4.9 इस प्रभाव तक कि कालेज, वि०अ०आ० द्वारा मानदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षकों द्वारा तथा उनकी ओर से कोई

4.10 कालेज के अध्ययन कार्यक्रम को जारी रखने के संबंध में अस्थायी सम्बद्धता स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर इन विनियमों में उपबंधित निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

4.11. यदि विश्वविद्यालय किसी कारण के चलते कालेज को सम्बद्धता प्रदान नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह सम्बद्धता प्राप्त करने के संबंध में शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने में असफलता को लिखित में दर्ज करेगा, यदि बाद में कालेज शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करता है तो वह पुनः आवेदन कर सकता है, परन्तु यह पूर्व के आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की तिथि से छह माह तक आवेदन नहीं कर सकता है।

5. स्थायी सम्बद्धता के लिए पात्रता मानदण्ड

5.1 कालेज को समय-समय पर विश्वविद्यालय/वि०अ०आ०/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर बनाए रखते हुए तथा अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त किए हुए संतोषजनक निष्पादन के कम से कम पांच वर्ष पूरे कर लिए जाने चाहिए।

5.2 कालेज द्वारा विनियमों में निर्धारित भवनों का निर्माण कार्य तथा सभी अवसंरचनात्मक/सुविधाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।

5.3 सभी शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक स्टॉफ को वि०अ०आ०/सरकारी वेतनमानों पर स्थायी आधार (सरकारी कालेज के मामले में नियमित आधार पर नियुक्त) पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

5.4 कालेज में मानदण्डों के अनुसार विधिवत् रूप से गठित कालेज परिषद होनी चाहिए।

- 3.1.7 प्रत्येक उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा यथा विहित आवश्यक प्रयोगशाला उपस्कर होने चाहिए।
- 3.1.8 एक बहुउद्देश्य काम्प्लेक्स/एक प्रेक्षागृह तथा खेल-कूद, जलपान गृह, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्णित लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक 'कामन रूम' तथा पृथक छात्रावास;
- 3.1.9 भाषण/संगोष्ठी कक्षों, प्रयोगशालाओं, ग्रंथालय, संकाय कक्षों तथा प्रशासनिक स्टाँफ सहित प्राचार्य के कक्षों के लिए और बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स/प्रेक्षागृह, सामान्य कक्षों तथा छात्रावास कक्षों एवं अन्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त फर्नीचर;
- 3.1.10 विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एक यथोचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय।

3.2 यदि कालेज राज्य सरकार द्वारा न चलाया जा रहा हो, तो

3.2.1 इसका प्रबंधन यथोचित रूप से गठित तथा पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा किया जाएगा;

3.2.2 यह विश्वविद्यालय को संतुष्ट करेगा कि कालेज को कम से कम तीन वर्षों तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध है। विशिष्ट रूप से, 15 लाख रुपये प्रति कार्यक्रम की अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से कालेज के नाम पर स्थायी कायिक निधि के सृजन तथा उसके रख-रखाव का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, यदि कालेज का प्रस्ताव केवल मानविकी, विज्ञान तथा वाणिज्य में कार्यक्रम चलाने का है तो जैसाकि संगत सांविधिक/विनियामक निकाय में विहित है अथवा 35 लाख रुपये प्रति कार्यक्रम, यदि इसका पेशेवर कार्यक्रम की पेशकश करने का विचार है तो इसी राशि की न्यूनतम तीन वर्षों की 'लॉक इन' अवधि की सावधि जमा जो कालेज तथा विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए, करवायी जानी चाहिए। इससे प्राप्त व्याज का कालेज द्वारा अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं

खण्ड 4)

तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से सृजन किए जाने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

7.3 नया कार्यक्रम जोड़ने के लिए अथवा मौजूदा कार्यक्रम का स्नातकोत्तर स्तर तक उन्नयन करने के प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विहित शुल्क भी साथ लगा होना चाहिए।

7.4 अध्ययन के अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने तथा कालेज में मौजूदा कार्यक्रम के उन्नयन के लिए प्रक्रिया, अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विनियमों में विहित प्रक्रिया के समान ही होगी।

8. सम्बद्धता समाप्त करना

8.1 यदि जांच करने पर कालेज, अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के उपबंधों या नियमों और विनियमों अथवा वि०अ०आ०/विश्वविद्यालय/सांविधिक/संबंधित विनियामक निकाय के अन्य निदेशों या अनुदेशों का पालन करने में असफल सिद्ध होता है अथवा सम्बद्धता की किसी शर्त का पालन करने में असफल होता है या इस प्रकार आचरण करता है जोकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्तर तथा विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो सम्बद्धता के माध्यम से कालेज को प्रदान किए विशेषाधिकार को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है या उसमें आशोधन किया जा सकता है।

8.2 यदि कोई सम्बद्ध कालेज करना बंद कर देता है अथवा किसी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के वह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है या किसी पृथक समाज, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास हस्तांतरित हो जाता है तो कालेज को प्रदत्त सम्बद्धता इस प्रकार की अस्तित्वहीनता, स्थानांतरण पर हस्तांतरण, जैसा भी मामला हो, स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इस सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ नया कालेज माना जाएगा।

इस प्रकार का अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए और अध्ययन कार्यक्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस प्रकार की अर्हता प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु सक्षमकारी मान्यता प्रदान की गई हो।


- 2.3 "आयोग" का अर्थ वि०अ०आ० अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है;
- 2.4 "पाठ्यक्रम" का अर्थ है एक इकाई जिसमें एक अध्ययन कार्यक्रम शामिल होता है;
- 2.5 "कार्यक्रम" / "अध्ययन कार्यक्रम" का अर्थ वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है;
- 2.6 "सांविधिक" / "विनियामक निकाय" का अर्थ है एक निकाय जिसका गठन उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में मानकों की स्थापना तथा उन्हें बनाए रखने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा किया गया हो, जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) आदि।
- 2.7 "छात्र" का अर्थ एक व्यक्ति जिसे एक विशिष्ट अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन हेतु दाखिल दिया जाता है।

3. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अर्हता मानदण्ड:

- 3.1 सम्बद्धता प्राप्त करने का इच्छुक प्रस्तावित कालेज, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अपेक्षाओं अथवा इनमें से किसी के भी संबंध में संबंधित सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा विहित अपेक्षाएं, जो भी अधिक हो, को पूरा करेगा:—

करना तथा / अथवा आयोग द्वारा वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत अनुरक्षित सूची से विश्वविद्यालय का नाम हटाना शामिल है ।

- 9.2 यदि कोई कालेज जिसे धारा 12 (घ) के तहत शामिल किया गया हो और जो वि०अ०आ० की धारा 12 (ख) के तहत अनुदान प्राप्त कर रहा हो, उसे विनियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर आयोग ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझता हो, जिसमें कालेज को दिए जाने वाले अनुदान को बंद करना तथा / अथवा आयोग द्वारा वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2 (घ) और / तथा (ख) के तहत कालेजों की सूची से उक्त कालेज का नाम हटाना शामिल है ।


(आर० के० चौहान)
सचिव

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]
No. 74]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2012

प्रा. सं. 1-7/2007 (सी.पी.पी.-1/सी)।—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26, उप-अनुच्छेद (1) अनुभाग की धारा 2 (एफ) एवं (जी) को द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 को संशोधित करते हुए निम्न विनियमनों को सुजन आयोग द्वारा किया जा रहा है :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रारंभ :

- 1.1 यह विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के नाम से जाना जाएगा।
- 1.2 ये विनियम, भारत को राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

2. परिभाषाएँ : इन विनियमों में :

1. परिभाषा में ज्यत्त धारा 2.4 के पश्चात् निम्न धारा को सम्मिलित किया जाएगा :

"2.5 'अनुदान सहायता प्राप्त महाविद्यालय' से तात्पर्य 'एक ऐसे महाविद्यालय से है' जो कि अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है।"

परिणामतः वर्तमान धाराओं की संख्या 2.5, 2.6 एवं 2.7 को क्रमशः इस परिभाषा के अंतर्गत 2.6, 2.7 एवं 2.8 के रूप में समझा जाएगा।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा संख्या 2.6 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.7 "सांविधिक/नियामक निकाय" से तात्पर्य है एक ऐसा निकाय जिसे किसी केन्द्र/राज्य सरकार व अधिनियम द्वारा गठित किया गया है ताकि उच्चतम शिक्षा के सापेक्ष क्षेत्रों में मानकों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया जा सके।

3. अस्थायी संबद्धता के लिए पात्रता के मानदण्ड :

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 3.1 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

"3.1 संबद्धता का इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय निम्न अनिवार्यताओं को पूरा करेगा अथवा सांविधिक/नियामक निकाय द्वारा ऐसी अनिवार्यताओं को पूरा करेगा जो केवल तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हों।"

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की विद्यमान धारा 3.1.1 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3.1.1 यदि वह भूमि किसी बड़े शहरों में स्थित है तथा उसका विस्तार 1.5 एकड़ से कम नहीं है, यदि वह महानगरों में स्थित है तथा इसका विस्तार 2 एकड़ हो अथवा यदि यह अन्य नगरों में स्थित है तो इसका विस्तार

5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए तथा इसका विचार रहित स्वामित्व एवं अधिकारिता हो एवं यह भूमि किसी भी ऋण भार से मुक्त होनी चाहिए।

नोट: उपर्युक्त-भारा ऐसे महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा, जो कि पहले से भारत में विद्यमान विश्वविद्यालयों में सम्मिलित हैं।

नोट: यदि शहरों में अपेक्षाकृत कम विस्तृत भूमि की आवश्यकता का विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं माध्यमिक शिक्षकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

नोट: "पहाड़ी क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता, जो समीपवर्ती के अन्तर्गत उन ऐसे तीन स्थानों पर हो जिनकी परस्पर दूरी 2 कि.मी. से अधिक न हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्व विद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की धारा 3.1.3 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3.1.3 प्रकाशनों, व्याख्याताओं, सम्मेलनों, कक्षाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं को एक ऐसे आकस्मिक गणन में स्थापित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रति छात्र 15 वर्ग फुट क्षेत्र व्याख्यान कक्षा/संगोष्ठी कक्षा/पुस्तकालय में विद्यमान हों तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट होना चाहिए।"

नोट: यह उप-धारा उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही भारत में विद्यमान महाविद्यालयों से सम्बद्ध हैं।"

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 3.1.5 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3.1.5 जल, विद्युत, वायुसंचारण/शौचालयों, सीवरेज आदि पर्याप्त नागरिक सुविधाएँ केन्द्र/ग्राम्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रदान की जाएँ।"

5. धारा 3.1.5 के पश्चात्, निम्न धारा को इसमें सम्मिलित किया जाएगा:

3.1.6 "सुरक्षा, संरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए पर्याप्त उपाय।"

परिष्कारित: धारा 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 एवं 3.1.9 को इस परिष्कार के अन्तर्गत क्रमशः 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 एवं 3.1.10 के रूप में संमिश्रित जाएँ।

4. अस्थायी संबद्धता की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 4.9 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4.9 विश्वविद्यालय संघ/कार्यकारी परिषद् की संवेदनशीलता को प्रदान अथवा प्रदान न करने वाली सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।"

5. स्थायी संबद्धता हेतु पात्रता के मापदण्ड:

1. धारा 5.4 के पश्चात्, निम्न धारा सम्मिलित की जाएगी:

"5.5: ऐसे महाविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन समिति (NAAC) अथवा अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अधिकार राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यापित किया जाएगा।"

9. ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने अद्यतन महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की है अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों पर जो आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करने में अतिसमर्थ रहे हैं उन पर षण्ड का प्रावधान

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 9.2 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"9.2 कोई भी ऐसा महाविद्यालय जिसे अनुच्छेद 2 (एफ) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जो अनुच्छेद 12(बी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त कर रहा है, ऐसा महाविद्यालय यदि विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसी दशा में आयोग कोई भी उचित कार्रवाई करेगा जिसमें विश्वविद्यालय को दिशे जाने वाले अनुदान को रोकना जाएगा अथवा उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों की सूची में से, जो अनुच्छेद 2 (एफ) एवं/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 12 (बी) के अन्तर्गत है, उसे महाविद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा।"

एन. आदित्य काश्यप, सचिव
[विज्ञापन III/4/13/11/असा.]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2012

University Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] (1st Amendment) Regulations, 2012.

E. No. 1-7/2007 (CPE-1/C).—In exercise of the powers conferred by clauses 2(f) and (g) of the Sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 the UGC hereby makes the following Regulations to amend the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009, namely:—

1. Short Title, Application and Commencement:

- 1.1 These Regulations may be called University Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] (1st Amendments) Regulations, 2012.
- 1.2 They shall come into force with immediate effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. Definitions : In these Regulations:

1. After clause 2.4 in the definition the following clause shall be inserted.
"2.5 'grant-in-aid college' means a 'college' receiving grants from the Government for payment of salary of its employees;"
Consequently the Nos. of existing clauses No. 2.5, 2.6 and 2.7 shall be read as 2.6, 2.7, 2.8 respectively in the definition.
2. In place of existing clause 2.6 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.
2.7 "Statutory/Regulatory body" means a body so constituted by a Central/State Government Act for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education.

3. Eligibility Criteria for Temporary Affiliation :

1. In place of existing clause 3.1 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1 The proposed college seeking affiliation, at the time of inspection by the university, shall satisfy the following requirements, or the requirements in respect of any of them prescribed by the Statutory/Regulatory body concerned in the case of technical/professional courses only."

2. In place of existing clause 3.1.1 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1.1 Undisputed ownership and possession of land free from any or all encumbrances measuring not less than 1.5 acres if it is located in mega cities, 2 acres if it is located in metropolitan cities and 5 acres if it is located in other cities :

Provided that this sub-clause shall not apply to colleges already affiliated to the Universities in India :

Provided further that the lesser land requirement in mega cities shall not compromise extracurricular/extramural curricular activities of the college :

Provided also that the requirement of 5 acres in hilly areas could be contiguous or upto three places which are not separated by more than 2 kilometers."

3. In place of existing clause 3.1.3 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1.3 academic building sufficient to accommodate the faculties, lecturer/seminar rooms, library and laboratories with a minimum of 15 sq. ft. per student in lecture/seminar room/library and 20 sq. ft. per student in each of the laboratories :

Provided that this sub-clause shall not apply to colleges already affiliated to the Universities in India."

4. In place of existing clause 3.1.5 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1.5 adequate civic facilities for essential like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, etc. in conformity with the norms laid down by the Central/State PWD."

5. After clause 3.1.5 the following clause shall be inserted.

"3.1.6 adequate measures for safety, security, pollution control, etc."

Consequently the Nos. of existing clauses No. 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 and 3.1.9 shall be read as 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 and 3.1.10 respectively in the definition.

4. Procedure for Granting Temporary Affiliation :

1. In place of existing clause 4.9 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"4.9 The Syndicate/Executive Council of the University shall be the ultimate authority to decide granting, or not granting, affiliation."

5. Eligibility Criteria for Permanent Affiliation :

1. After clause 5.4 the following clause shall be inserted.

"5.5 The College shall be accredited by NAAC or any other statutory accreditation agency by State/Central Government."

9. Penalties on the Universities granting affiliation to sub-standard colleges or failure of Universities/Colleges to comply with the Regulations of Commission :

1. In place of existing clause 9.2 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities]

Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"9.2 If any college included under Section 2(f) and receiving UGC Grants under Section 12(R) is found guilty of violation of the Regulations, the Commission may take such action as it may

deem fit, including that of withholding the grant to the college and/or delisting the said college from the list of colleges maintained by the Commission under Sections 2(f) and/or 12(B) of the UGC Act."

N. ADIL KAZMI, Secy.
[ADVT. III/4/13/11-Exty.]